Mayyit Ke Ghusl w Kafan Ka Tariqa (Hindi)

मय्यित के ग़ुस्ल व कफ़न, निय्यतों, फ़ज़ीलतों, मसाइल और दीगर तफ़्सील पर मुश्तमिल रिसाला

मय्यित के ग़ुस्ल व कफ़न का त़रीक़ा (ह़नफ़ी)

सफ़ह़ात 32

पेशकश :
मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

किताब पढ़ने की दुआ़

अज़ : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** रज़वी دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ़ पढ़ लीजिये اِنۡ شَآءَاللّٰہ عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ़ येह है :

اَللّٰھُمَّ افۡتَحۡ عَلَیۡنَا حِکۡمَتَکَ وَانۡشُرۡ
عَلَیۡنَا رَحۡمَتَکَ یَا ذَاالۡجَلَالِ وَالۡاِکۡرَام

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इ़ल्मो ह़िक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़ज़मत और बुजु़र्गी वाले। (مُسۡتَطۡرَف ج ۱ص ۴۰ دارالفکر بیروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये।

त़ालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत
13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

नामे रिसाला : **मय्यित के ग़ुस्ल व कफ़न का त़रीक़ा**
चोथी बार : **1444** हि., **2022** ई.
ता'दाद : 31,00

नाशिर : **मक्तबतुल मदीना**

मदनी इल्तिजा : किसी और को येह रिसाला छापने की इजाज़त नहीं है।

ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी इन्डिया)

येह रिसाला ''**मय्यित के ग़ुस्ल व कफ़न का त़रीक़ा**''

मजलिसे **अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या** (दा'वते इस्लामी) ने **उर्दू** ज़बान में मुरत्तब किया है। ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी इन्डिया) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त़ में तरतीब दे कर पेश किया है और **मक्तबतुल मदीना** से शाएअ़ करवाया है।

इस रिसाले में अगर किसी जगह कमी बेशी या ग़लती पाएं तो ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट को (ब ज़रीअ़ए मक्तूब, Email या SMS) मुत्त़लअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

राबित़ा : ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी इन्डिया)

मक्तबतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने,
तीन दरवाज़ा, अह़मदआबाद-1, गुजरात

MO. 98987 32611 • E-mail :hind.printing92@gmail.com

क़ियामत के रोज़ ह़सरत

फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **:** सब से ज़ियादा ह़सरत क़ियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इ़ल्म ह़ासिल करने का मौक़अ़ मिला मगर उस ने ह़ासिल न किया और उस शख़्स को होगी जिस ने इ़ल्म ह़ासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़अ़ उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस इ़ल्म पर अ़मल न किया)। (تاریخ دمشق لابن عساکر ج۵۱ص۱۳۸ دارالفکر بیروت)

किताब के ख़रीदार मुतवज्जेह हों

किताब की त़बाअ़त में नुमायां ख़राबी हो या सफ़ह़ात कम हों या बाइन्डिंग में आगे पीछे हो गए हों तो **मक्तबतुल मदीना** से रुजूअ़ फ़रमाइये।

मय्यित के ग़ुस्ल व कफ़न, निय्यतों, फ़ज़ीलतों, मसाइल और

दिगर तफ़सील पर मुश्तमिल रिसाला

मय्यित के ग़ुस्ल व कफ़न का त़रीक़ा

पेशकश

शो'बए कफ़न दफ़्न (दा'वते इस्लामी)

मजलिसे अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या

नाशिर

मक्तबतुल मदीना

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه बयानाते अ़त्तारिय्या (ह़िस्सा अव्वल) सफ़ह़ा 62 पर दुरूदे पाक की फ़ज़ीलत बयान करते हुए ''अल क़ौलुल बदीअ़'' के ह़वाले से नक़्ल फ़रमाते हैं :

रुख़े पुर अन्वार पर ख़ुशी के आसार

ह़ज़रते सय्यिदुना सह्ल बिन सा'द رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से रिवायत है कि एक रोज़ सरकारे नामदार, हम बे कसों के मददगार صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم बाहर तशरीफ़ लाए, इस मौक़अ़ पर ह़ज़रते सय्यिदुना अबू त़ल्ह़ा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ ने आगे बढ़ कर अ़र्ज़ की : ''या रसूलल्लाह ! मेरे मां बाप आप पर क़ुरबान हों आज चेहरए मुबारक पर ख़ुशी के आसार मा'लूम हो रहे हैं।'' आप صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : ''बेशक अभी जिब्रीले अमीन (عَلَیْہِ السَّلَام) मेरे पास आए थे और उन्हों ने कहा : ऐ मुह़म्मद ! जिस ने आप पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा **अल्लाह** पाक उस के नामए आ'माल में दस नेकियां सब्त फ़रमाएगा और दस गुनाह मिटा देगा और दस दरजात बढ़ा देगा।'' (القول البدیع، ص107)

तजहीज़ो तक्फ़ीन से क्या मुराद है ?(1)

तजहीज़ के लुग़वी मा'ना हैं : सामाने ज़रूरत मुहय्या करना, आरास्ता करना और **तक्फ़ीन** के मा'ना हैं : कफ़न देना। मरने के बा'द इन्सान को जो लिबास पहनाया जाता है उसे कफ़न कहते हैं और तजहीज़ो तक्फ़ीन से मुराद है

(1)....इस रिसाले का तमाम मवाद मक्तबतुल मदीना की किताब ''तजहीज़ो तक्फ़ीन का त़रीक़ा'' से लिया गया है। अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या

मौत से ले कर दफ़्न तक मय्यित के लिये जिन उमूर की ह़ाजत होती है वोह तमाम उमूर बजा लाना। इस में मय्यित का ग़ुस्ल, कफ़न, नमाज़े जनाज़ा, क़ब्र की खुदाई सब शामिल हैं।

शर्ई हुक्म

मुसलमान की तजहीज़ो तक्फ़ीन फ़र्ज़े किफ़ाया है।

फ़र्ज़े किफ़ाया

फ़र्ज़े किफ़ाया येह वोह है जिस का करना हर एक पर ज़रूरी नहीं बल्कि जिन जिन को पता चला उन में से कुछ लोगों ने कर लिया तो सब की त़रफ़ से अदा हो गया और अगर उन में से जिन को इत्तिलाअ़ हुई किसी एक ने भी न किया तो सब गुनाहगार होंगे। (वक़ारुल फ़तावा, किताबुस्सलात, 2/57 मुलख़्ख़सन)

प्यारे इस्लामी भाइयो ! तजहीज़ो तक्फ़ीन में शिर्कत सआ़दत और बाइ़से अज्रो सवाब है, ह़दीसे मुबारका में इस की ज़बरदस्त फ़ज़ीलत आई है। चुनान्चे,

तजहीज़ो तक्फ़ीन की ज़बरदस्त फ़ज़ीलत

अमीरुल मु'मिनीन ह़ज़रते मौलाए काएनात सय्यिदुना अ़लिय्युल मुर्तज़ा शेरे खुदा (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ) से रिवायत है कि सुल्त़ाने दो जहान, रह़मते आ़लमिय्यान صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इरशाद फ़रमाया कि जो किसी मय्यित को नहलाए, कफ़न पहनाए, ख़ुश्बू लगाए, जनाज़ा उठाए, नमाज़ पढ़े और जो नाक़िस बात नज़र आए उसे छुपाए वोह गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जाता है जैसे पैदाइश के दिन था। (ابن ماجه، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی غسل المیت، ۲/۲۰۱، حدیث ۱٤٦۲)

سُبْحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ कैसी प्यारी फ़ज़ीलत है ! तजहीज़ो तक्फ़ीन करने वालों के तो गोया वारे ही न्यारे हो जाते हैं लिहाज़ा जब किसी मुसलमान के इन्तिक़ाल की ख़बर मिले और मुमकिन हो तो अच्छी अच्छी निय्यतें कर के उस की तजहीज़ो तक्फ़ीन में ज़रूर शामिल हों।

मय्यित नहलाने की फ़ज़ीलत

ह़ज़रते सय्यिदुना जाबिर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहनशाहे नबुव्वत صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जिस ने किसी मय्यित को ग़ुस्ल दिया वोह अपने गुनाहों से ऐसा पाको साफ़ हो जाएगा जैसा उस दिन था जिस दिन उस की मां ने उसे जना था।

(المعجم الاوسط، باب الہاء، 6/429، حدیث:9292)

अब ग़ुस्ले मय्यित का त़रीक़ा बयान किया जाएगा लेकिन पहले कुछ निय्यतें कर लीजिये।

ग़ुस्ले मय्यित की निय्यतें

❁ रिज़ाए इलाही पाने और सवाबे आख़िरत कमाने के लिये मय्यित को ग़ुस्ल दूंगा ❁ फ़र्ज़े किफ़ाया अदा करूंगा ❁ ह़त्तल मक़्दूर बा वुज़ू रहूंगा ❁ ज़रूरतन ग़ुस्ल से क़ब्ल मुआ़विनीन को ग़ुस्ल का त़रीक़ा और सुन्नतें बताऊंगा ❁ मय्यित की सत्रपोशी का ख़ुसूसी ख़याल रखूंगा ❁ आ'ज़ा हिलाते वक़्त नर्मी और आहिस्तगी से ह़रकत दूंगा ❁ पानी के इस्राफ़ से बचूंगा ❁ मुर्दे की बे बसी देख कर इ़ब्रत ह़ासिल करने की कोशिश करूंगा ❁ मस्अला दर पेश हुवा तो दारुल इफ़्ता अह्ले सुन्नत से शर्ई रहनुमाई ह़ासिल करूंगा ❁ ख़ुदा न ख़्वास्ता मय्यित का चेहरा सियाह हो गया या कोई और तग़य्युर हुवा तो ब हुक्मे शर्अ़ उसे छुपाऊंगा और मुआ़विनीन को भी छुपाने की तरग़ीब दूंगा ❁ अच्छी अ़लामत ज़ाहिर हुई मसलन ख़ुश्बू आना, चेहरे पर मुस्कुराहट फैलना वग़ैरा तो दूसरों को भी बताऊंगा।

ग़ुस्ले मय्यित का त़रीक़ा

अगरबत्तियां या लूबान जला कर तीन या पांच या सात बार ग़ुस्ल के तख़्ते को धूनी दें या'नी इतनी बार तख़्ते के गिर्द फिराएं, तख़्ते पर मय्यित को इस

त़रह़ लिटाएं जैसे क़ब्र में लिटाते हैं, नाफ़ से घुटनों समेत कपड़े से छुपा दें, (आज कल ग़ुस्ल के दौरान सफ़ेद कपड़ा उढ़ाते हैं और इस पर पानी लगने से मय्यित के सत्र की बे पर्दगी होती है लिहाज़ा कथ्थई या गहरे रंग का इतना मोटा कपड़ा हो कि पानी पड़ने से सत्र न चमके, कपड़े की दो तहें कर लें तो ज़ियादा बेहतर) पर्दे की तमाम तर एह़तियात़ और नर्मी से मय्यित का लिबास उतार लें। **अब** नहलाने वाला अपने हाथ पर कपड़ा लपेट कर पहले दोनों त़रफ़ इस्तिन्जा करवाए (या'नी पानी से धोए) फिर नमाज़ जैसा वुज़ू करवाएं या'नी मुंह फिर कोहनियों समेत दोनों हाथ तीन तीन बार धुलाएं। फिर सर का मस्ह़ करें, फिर तीन बार दोनों पाउं धुलाएं, मय्यित के वुज़ू में पहले गट्टों तक हाथ धोना, कुल्ली करना और नाक में पानी डालना नहीं है, अलबत्ता कपड़े या रूई की फुरेरी भिगो कर दांतों, मसूढ़ों, होंटों और नथनों पर फेर दे। फिर सर या दाढ़ी के बाल हों तो धोएं, साबुन या शेम्पू इस्ति'माल कर सकते हैं। अब बाईं (या'नी उल्टी) करवट पर लिटा कर बेरी के पत्तों का जोश दिया हुवा (जो अब नीम गर्म रह गया हो) और येह न हो तो ख़ालिस नीम गर्म पानी सर से पाउं तक बहाएं कि तख़्ते तक पहुंच जाए फिर सीधी करवट लिटा कर इसी त़रह़ करें फिर टेक लगा कर बिठाएं और नर्मी के साथ नीचे को पेट के निचले ह़िस्से पर हाथ फेरें और कुछ निकले तो धो डालें दोबारा वुज़ू और ग़ुस्ल की ह़ाजत नहीं फिर आख़िर में सर से पाउं तक काफ़ूर का पानी बहाएं फिर किसी पाक कपड़े से बदन आहिस्ता से पोंछ दें। **एक मरतबा सारे बदन पर पानी बहाना फ़र्ज़** है और **तीन मरतबा सुन्नत**। ग़ुस्ले मय्यित में बे तह़ाशा पानी न बहाएं, आख़िरत में एक एक क़त़रे का ह़िसाब है येह याद रखें। (मदनी वसिय्यत नामा, स. 12 माख़ूज़न)

इस्लामी बहन के ग़ुस्ले मय्यित का त़रीक़ा

ग़ुस्ल व कफ़न के लिये इन चीज़ों का इन्तिज़ाम फ़रमा लें।

۞ गुस्ल का तख़्ता ۞ अगरबत्ती ۞ माचिस ۞ दो मोटी चादरें (कथ्थई हों तो बेहतर है) ۞ रूई ۞ बड़े रूमाल की त़रह़ के दो कपड़ों के पीस (इस्तिन्जा वग़ैरा के लिये) ۞ दो बाल्टियां ۞ दो मग ۞ साबुन ۞ बेरी के पत्ते ۞ दो तोलिये ۞ कफ़न का बिग़ैर सिला हुवा बड़े अ़र्ज़ का कपड़ा ۞ क़ैंची ۞ सूईधागा ۞ काफ़ूर ۞ ख़ुश्बू

अगरबत्तियां या लूबान जला कर तीन या पांच या सात बार ग़ुस्ल के तख़्ते को धूनी दें या'नी इतनी बार तख़्ते के गिर्द फिराएं, तख़्ते पर मय्यित को इस त़रह़ लिटाएं जैसे क़ब्र में लिटाते हैं, सीने से घुटनों समेत कपड़े से छुपा दें (आज कल ग़ुस्ल के दौरान सफ़ेद कपड़ा उढ़ाया जाता है और इस पर पानी लगने से मय्यित के सत्र की बे पर्दगी होती है लिहाज़ा कथ्थई या गहरे रंग का इतना मोटा कपड़ा हो कि पानी पड़ने से सत्र न चमके, कपड़े की दो तहें कर लें तो ज़ियादा बेहतर) पर्दे की तमाम तर एह़तियात़ और नर्मी से मय्यित का लिबास उतारें। इसी त़रह़ कील, बुन्दे या कोई और ज़ेवर भी नर्मी से उतार लें, अब नहलाने वाली अपने हाथ पर कपड़ा लपेट कर पहले दोनों त़रफ़ इस्तिन्जा करवाए (या'नी पानी से धोए) फिर नमाज़ जैसा वुज़ू करवाएं या'नी मुंह फिर कोहनियों समेत दोनों हाथ तीन तीन बार धुलाएं, फिर सर का मस्ह़ करें, फिर तीन बार दोनों पाउं धुलाएं, मय्यित के वुज़ू में पहले गट्टों तक हाथ धोना, कुल्ली करना और नाक में पानी डालना नहीं है, अलबत्ता कपड़े या रूई की फुरेरी भिगो कर दांतों, मसूढ़ों, होंटों और नथनों पर फेर दें। फिर सर धोएं, साबुन या शेम्पू या दोनों इस्ति'माल किये जा सकते हैं (लेकिन इन के ज़ियादा इस्ति'माल से बालों में उलझाव पैदा होता है लिहाज़ा बेरी के पत्तों का जोश दिया हुवा पानी काफ़ी है) अब बाईं (या'नी उल्टी) करवट पर लिटा कर बेरी के पत्तों का जोश दिया हुवा (जो अब नीम गर्म रह गया हो) और येह न हो तो ख़ालिस नीम गर्म पानी सर से पाउं तक

बहाएं कि तख़्ते तक पहुंच जाए फिर सीधी करवट लिटा कर इसी त़रह़ करें फिर टेक लगा कर बिठाएं और नर्मी के साथ नीचे को पेट के निचले ह़िस्से पर हाथ फेरें और कुछ निकले तो धो डालें। दोबारा वुज़ू और ग़ुस्ल की ह़ाजत नहीं फिर आख़िर में सर से पाउं तक काफ़ूर का पानी बहाएं फिर किसी पाक कपड़े से बदन आहिस्ता से पोंछ दें। ग़ुस्ले मय्यित में बे तह़ाशा पानी न बहाएं आख़िरत में एक एक क़त़रे का ह़िसाब है येह याद रखें। (मदनी वसिय्यत नामा, स. 12 माख़ूज़न)

ग़ुस्ले मय्यित के मदनी फूल

۞ मय्यित के ग़ुस्ल व कफ़न और दफ़्न में जल्दी चाहिये कि ह़दीस में इस की बहुत ताकीद आई है। (جوهرة نيرة، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ص١٣١) मुफ़स्सिरे शहीर, ह़कीमुल उम्मत ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْه फ़रमाते हैं : ह़त्तल इमकान दफ़्न में जल्दी की जाए, बिला ज़रूरत देर लगाना सख़्त नाजाइज़ है कि इस में मय्यित के फूलने फटने और उस की बे ह़ुरमती का अन्देशा है। (मिरआतुल मनाजीह़, जनाज़ों की किताब, 2/447)

۞ एक मरतबा सारे बदन पर पानी बहाना फ़र्ज़ है और तीन मरतबा सुन्नत, जहां ग़ुस्ल दें मुस्तह़ब येह है कि पर्दा कर लें कि सिवा नहलाने वालों और मददगारों के दूसरा न देखे, नहलाते वक़्त ख़्वाह इस त़रह़ लिटाएं जैसे क़ब्र में रखते हैं या क़िब्ले की त़रफ़ पाउं कर के या जो आसान हो करें।

(فتاوی ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثانی فی الغسل، 1/158)

नहलाने वाले के लिये मदनी फूल

۞ नहलाने वाला बा त़हारत हो। अगर जुनुबी शख़्स (जिस पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो चुका हो) ने ग़ुस्ल दिया तो कराहत है मगर ग़ुस्ल हो जाएगा।

(فتاوی ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثانی فی الغسل، 1/159)

۞ अगर बे वुज़ू ने नहलाया तो कराहत नहीं ।

(عالمگیری، کتاب الصلاۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثانی فی الغسل، ۱/۱۵۹)

۞ बेहतर येह है कि नहलाने वाला मय्यित का सब से ज़ियादा क़रीबी रिश्तेदार हो, वोह न हो या नहलाना न जानता हो तो कोई और शख़्स जो अमानत दार और परहेज़गार हो ।

(عالمگیری، کتاب الصلاۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثانی فی الغسل، ۱/۱۵۹)

۞ नहलाने वाले के पास ख़ुश्बू सुलगाना मुस्तह़ब है कि अगर मय्यित के बदन से बू आए तो उसे पता न चले वरना घबराएगा, नीज़ उसे चाहिये कि ब क़दरे ज़रूरत आ'ज़ाए मय्यित की त़रफ़ नज़र करे, बिला ज़रूरत किसी उ़ज़्व की त़रफ़ न देखे कि मुमकिन है उस के बदन में कोई ऐ़ब हो जिसे वोह छुपाता था । (جوھرۃ نیرۃ، کتاب الصلاۃ، باب الجنائز، ص ۱۳۱)

۞ मर्द को मर्द नहलाए और औ़रत को औ़रत, मय्यित छोटा लड़का है तो उसे औ़रत भी नहला सकती है और छोटी लड़की को मर्द भी, छोटे से येह मुराद कि ह़द्दे शहवत को न पहुंचे हों ।

(عالمگیری، کتاب الصلاۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثانی فی الغسل، ۱/۱۶۰)

۞ ग़ुस्ले मय्यित के बा'द ग़स्साल (ग़ुस्ल देने वाले को ग़ुस्ल करना मुस्तह़ब है । (दारुल इफ़्ता अह्ले सुन्नत)

कफ़न पहनाने की फ़ज़ीलत

प्यारे इस्लामी भाइयो ! मय्यित को कफ़न पहनाना कारे सवाब है और कई अह़ादीसे मुबारका में कफ़न पहनाने वाले के लिये जन्नती हुल्लों और नफ़ीस रेशमी लिबासों की बिशारत दी गई है चुनान्चे, एक ह़दीसे मुबारका मुलाह़ज़ा फ़रमाइये :

जन्नती लिबास

ह़ज़रते सय्यिदुना अबू उमामा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जिस ने किसी मय्यित को कफ़नाया (या'नी कफ़न पहनाया) तो **अल्लाह** पाक उसे सुन्दुस का लिबास (जन्नत का इन्तिहाई नफ़ीस रेशमी लिबास) पहनाएगा।

(معجم کبیر، 8/281، حدیث:8078)

बच्चों को कौन सा कफ़न दिया जाए ?

जो ना बालिग़ ह़द्दे शहवत को पहुंच गया वोह बालिग़ के हुक्म में है या'नी बालिग़ को कफ़न में जितने कपड़े दिये जाते हैं उसे भी दिये जाएं और इस से छोटे लड़के को एक कपड़ा और छोटी लड़की को दो कपड़े (लिफ़ाफ़ा और इज़ार) दे सकते हैं और लड़के को भी दो कपड़े (लिफ़ाफ़ा और इज़ार) दिये जाएं तो अच्छा है और बेहतर येह है कि दोनों को पूरा कफ़न दें अगर्चे एक दिन का बच्चा हो। (ردالمحتار، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الجنازۃ، مطلب: فی الکفن، ۳/۱۱۷)

कफ़न की तफ़्सील

﴿1﴾ **लिफ़ाफ़ा :** या'नी चादर मय्यित के क़द से इतनी बड़ी हो कि दोनों त़रफ़ से बांध सकें।

﴿2﴾ **इज़ार :** (या'नी तहबन्द) चोटी (या'नी सर के सिरे) से क़दम तक या'नी लिफ़ाफ़े से इतना छोटा जो बन्दिश के लिये ज़ाइद था।

﴿3﴾ **क़मीस :** (या'नी कफ़नी) गर्दन से घुटनों के नीचे तक और येह आगे और पीछे दोनों त़रफ़ बराबर हो इस में चाक और आस्तीनें न हों। मर्द की कफ़नी कन्धों पर चीरें और औ़रत के लिये सीने की त़रफ़।

﴿4﴾ **सीनाबन्द :** पिस्तान से नाफ़ तक और बेहतर येह है कि रान तक हो।

﴾5﴿ **ओढ़नी :** तीन हाथ होनी चाहिये या'नी डेढ़ गज़।

(मदनी वसिय्यत नामा, स. 11 व बहारे शरीअ़त, हि़स्सा 4, 1 / 818)

उ़मूमन तय्यार कफ़न ख़रीद लिया जाता है उस का मय्यित के क़द के मुत़ाबिक़ मस्नून साइज़ का होना ज़रूरी नहीं, येह भी हो सकता है कि इतना ज़ियादा हो कि इस्राफ़ में दाख़िल हो जाए, लिहाज़ा एह़तियात़ इसी में है कि थान में से ह़स्बे ज़रूरत कपड़ा काटा जाए। (मदनी वसिय्यत नामा, स. 11, ह़ाशिया, 1)

कफ़न पहनाने की निय्यतें

❁ रिज़ाए इलाही पाने और सवाबे आख़िरत कमाने के लिये मय्यित को कफ़न पहनाऊंगा ❁ फ़र्ज़े किफ़ाया अदा करूंगा ❁ ज़रूरतन तक्फ़ीन से क़ब्ल मुआ़विनीन को कफ़न पहनाने का त़रीक़ा और सुन्नतें बताऊंगा ❁ मय्यित तख़्ताए ग़ुस्ल से कफ़न पर रखते हुए इन्तिहाई एह़तियात़ और नर्मी बरतूंगा और उस वक़्त सत्रपोशी का ख़ास त़ौर पर ख़याल रखूंगा ❁ मय्यित की पेशानी पर अंगुश्ते शहादत से بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم लिखूंगा ❁ इसी त़रह़ सीने पर لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم लिखूंगा ❁ इ़त्र या ख़ुश्बू लगाऊंगा ❁ आबे मदीना और आबे ज़मज़म मुयस्सर होने की सूरत में कफ़न पर छिड़कूंगा ❁ क़ब्र में जानिबे क़िब्ला त़ाक़ नुमा बना कर शजरा शरीफ़, अ़ह्दनामा वग़ैरा इस में रखूंगा।

मर्द को कफ़न पहनाने का त़रीक़ा

कफ़न को तीन या पांच या सात बार धूनी दे दें। फिर इस त़रह़ बिछाएं कि पहले लिफ़ाफ़ा या'नी बड़ी चादर, उस पर तहबन्द और उस के ऊपर कफ़नी रखें। अब मय्यित को उस पर लिटाएं और कफ़नी पहनाएं, अब दाढ़ी पर (न हो तो ठोड़ी पर) और तमाम जिस्म पर ख़ुश्बू मलें, वोह आ'ज़ा जिन पर सजदा किया जाता है या'नी पेशानी, नाक, हाथों, घुटनों और क़दमों पर काफ़ूर लगाएं।

फिर तहबन्द उल्टी जानिब से, फिर सीधी जानिब से लपेटें। अब

आख़िर में लिफ़ाफ़ा भी इसी त़रह़ पहले उल्टी जानिब से, फिर सीधी जानिब से लपेटें ताकि सीधा ऊपर रहे। सर और पाउं की त़रफ़ बांध दें।

(मदनी वसिय्यत नामा, स. 13)

औ़रत को कफ़न पहनाने का त़रीक़ा

कफ़न को तीन या पांच या सात बार धूनी दे दें। फिर इस त़रह़ बिछाएं कि पहले लिफ़ाफ़ा या'नी बड़ी चादर उस पर तहबन्द और उस के ऊपर कफ़नी रखें। अब मय्यित को उस पर लिटाएं और कफ़नी पहनाएं अब उस के बालों के दो ह़िस्से कर के कफ़नी के ऊपर सीने पर डाल दें और ओढ़नी को आधी पीठ के नीचे बिछा कर सर पर ला कर मुंह पर निक़ाब की त़रह़ डाल दें कि सीने पर रहे। इस का त़ूल आधी पुश्त से नीचे तक और अ़र्ज़ एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हो। बा'ज़ लोग ओढ़नी इस त़रह़ उढ़ाते हैं जिस त़रह़ औ़रतें ज़िन्दगी में सर पर ओढ़ती हैं येह ख़िलाफ़े सुन्नत है। अब तमाम जिस्म पर ख़ुश्बू मलें, वोह आ'ज़ा जिन पर सजदा किया जाता है या'नी पेशानी, नाक, हाथों, घुटनों और क़दमों पर काफ़ूर लगाएं (सत्र के मक़ाम को न तो देख सकते हैं, न बिला ह़ाइल छू सकते हैं)। फिर तहबन्द उल्टी जानिब से, फिर सीधी जानिब से लपेटें। अब आख़िर में लिफ़ाफ़ा भी इसी त़रह़ पहले उल्टी जानिब से, फिर सीधी जानिब से लपेटें ताकि सीधा ऊपर रहे। सर और पाउं की त़रफ़ बांध दें। फिर आख़िर में सीनाबन्द पिस्तान के ऊपर वाले ह़िस्से से रान तक ला कर किसी डोरी से बांधें। (आज कल औ़रतों के कफ़न में भी लिफ़ाफ़ा ही आख़िर में रखा जाता है तो अगर कफ़नी के बा'द सीनाबन्द रखा जाए तो भी कोई मुज़ाइक़ा नहीं मगर अफ़्ज़ल है कि सीनाबन्द सब से आख़िर में हो)

(मदनी वसिय्यत नामा, स. 13)

कफ़न कैसा होना चाहिये ?

۞ कफ़न अच्छा होना चाहिये या'नी मर्द ईदैन व जुमुआ़ के लिये जैसे

कपड़े पहनता था और औ़रत जैसे कपड़े पहन कर मैके जाती थी उस क़ीमत का होना चाहिये। ह़दीस में है, मुर्दों को अच्छा कफ़न दो कि वोह बाहम मुलाक़ात करते और अच्छे कफ़न से तफ़ाख़ुर करते या'नी ख़ुश होते हैं।

(ردالمحتار، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الجنازۃ، مطلب: فی الکفن، ۳/۱۱۲)

۞ सफ़ेद कफ़न बेहतर है कि नबिये अकरम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : अपने मुर्दे सफ़ेद कपड़ों में कफ़नाओ।

(ترمذی، کتاب الجنائز، باب ماجاء ما یستحب من الاکفان، ۲/۳۰۱، حدیث ۹۹۶)

۞ पुराने कपड़े का भी कफ़न हो सकता है, मगर पुराना हो तो धुला हुवा हो कि कफ़न सुथरा होना मरग़ूब है। (جوھرۃ نیرۃ، کتاب الصلاۃ، باب الجنائز، ص ۱۳۵)

۞ कफ़न अगर आबे ज़म ज़म या आबे मदीना बल्कि दोनों से तर किया हुवा हो तो सआ़दत है। (मदनी वसिय्यत नामा, स. 4)

मुतफ़र्रिक़ मदनी फूल

۞ मय्यित के दोनों हाथ करवटों में रखें, सीने पर न रखें कि येह कुफ़्फ़ार का त़रीक़ा है। (درالمختار معہ رد المحتار، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الجنازۃ، ۳/۱۰۵)

बा'ज़ जगह नाफ़ के नीचे इस त़रह़ रखते हैं जैसे नमाज़ के क़ियाम में, येह भी न करें। (बहारे शरीअ़त, ह़िस्सा 4, 1/816)

۞ मय्यित ने अगर कुछ माल छोड़ा तो कफ़न उसी के माल से होना चाहिये। (ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، باب صلوۃ الجنازۃ، مطلب: فی الکفن، ۳/۱۱۴)

۞ किसी ने वसिय्यत की, कि कफ़न में उसे दो कपड़े दिये जाएं तो येह वसिय्यत जारी न की जाए, तीन कपड़े दिये जाएं और अगर येह वसिय्यत की, कि हज़ार रूपे का कफ़न दिया जाए तो येह भी नाफ़िज़ न होगी मुतवस्सित़ दरजे का दिया जाए। (ردالمحتار، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الجنازۃ، مطلب:: فی الکفن، ۳/۱۱۲)

۞ उ़लमा व मशाइख़ को बा इ़मामा दफ़्न किया जा सकता है, आ़म लोगों की मय्यित को मअ़ इ़मामा दफ़्नाना मन्अ़ है।

(الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الجنازۃ، 3/112، ملتقطاً)

۞ बा'दे ग़ुस्ले मय्यित, कफ़न में चेहरा छुपाने से क़ब्ल, पहले पेशानी पर अंगुश्ते शहादत से بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم लिखिये। (मदनी वसिय्यत नामा, स. 4)

۞ इसी त़रह़ सीने पर لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(मदनी वसिय्यत नामा, स. 5)

۞ दिल की जगह पर **या रसूलल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(मदनी वसिय्यत नामा, स. 5)

۞ नाफ़ और सीने के दरमियानी ह़िस्सए कफ़न पर **: या ग़ौसे आ'ज़म दस्तगीर** رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ, **या इमाम अबू ह़नीफ़ा** رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ, **या इमाम अह़मद रज़ा** رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ, **या शैख़ ज़ियाउद्दीन** رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ शहादत की उंगली से लिखें। (मदनी वसिय्यत नामा, स. 5) अपने पीर साह़िब का नाम भी लिख सकते हैं जैसे **: या अ़त्तार**

۞ नीज़ नाफ़ के ऊपर से ले कर सर तक तमाम ह़िस्सए कफ़न पर (इ़लावा पुश्त के) "मदीना मदीना" लिखा जाए। याद रहे ! येह सब कुछ रोशनाई से नहीं सिर्फ़ अंगुश्ते शहादत से लिखना है और कोई सय्यिद साह़िब या आ़लिमे दीन लिखें तो सआ़दत है।

۞ दोनों आंखों पर मदीनतुल मुनव्वरा زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا की ख़जूर की घुटलियां रख दी जाएं। (मदनी वसिय्यत नामा, स. 5)

۞ अगर किसी इस्लामी बहन के मख़्सूस अय्याम हों या ह़ामिला हो तो वोह मय्यित को देख सकती है इस में कोई ह़रज नहीं। (दारुल इफ़्ता अह्ले सुन्नत)

۞ कफ़न के कपड़े को सिलाई मशीन (या हाथ) से सिलाई लगा सकते हैं। (दारुल इफ़्ता अह्ले सुन्नत)

दुआए अ़त्तार

या रब्बल मुस्त़फ़ा ! जो भी इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें शरीअ़त के मुत़ाबिक़ ग़ुस्ले मय्यित में ह़िस्सा लें उन को दोनों जहानों की भलाइयों से माला माल कर, उन्हें मदीने में ईमानो आ़फ़िय्यत के साथ शहादत इ़नायत फ़रमा। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم

तजहीज़ो तक्फ़ीन से मुतअ़ल्लिक़ सुवाल जवाब

(अज़ : दारुल इफ़्ता अह्ले सुन्नत)

सुवाल : अगर मय्यित के जिस्म में किसी ह़ादिसे की वज्ह से सूराख़ हों तो उन पर टांके लगवाना कैसा ?

जवाब : फ़ौतगी के बा'द टांके लगवाने की इजाज़त नहीं कि इस में मय्यित को बिला वज्ह तक्लीफ़ पहुंचाना है, हां सूराख़ों के ऊपर रूई वग़ैरा रख दी जाए जैसा कि नाक व कान वग़ैरा के सूराख़ों में रखने का हुक्म है।

सुवाल : अगर अस्पताल से मय्यित इस ह़ाल में आई कि पट्टियां बन्धी हों तो पट्टी खोल कर पानी बहाना होगा ?

जवाब : बा'ज़ पट्टियां जिस्म के साथ इस त़रह़ चिपकी होती हैं कि उन को उतारेंगे तो जिस्म या बाल खींचने से मय्यित को तक्लीफ़ होगी लिहाज़ा ऐसी पट्टी अगर नीम गर्म पानी डाल कर आसानी से उतारना मुमकिन हो तो उतार दें वरना रहने दें और कुछ पट्टियां जिस्म पर चिपकी नहीं होतीं। ऐसी पट्टियां मय्यित को बिग़ैर तक्लीफ़ पहुंचाए उतार दी जाएं।

सुवाल : पोस्ट मॉर्टम वाली मय्यित के सीने से नाफ़ तक सिलाई पर प्लास्टिक शीट लगी होती है उसे हटाना लाज़िमी है ?

जवाब : येह प्लास्टिक शीट आ़म त़ौर पर जिस्म के साथ चिपकी होती है जिस को उतारना मय्यित के लिये तक्लीफ़ का बाइ़स है लिहाज़ा ऐसी शीट भी अगर नीम गर्म पानी डालने से ब आसानी उतर सकती हो तो उतार दें वरना रहने दें।

सुवाल : मय्यित के अगर ख़ून निकल रहा है तो ज़ियादा पट्टियां कर सकते हैं या प्लास्टिक पेकिंग की इजाज़त है ?

जवाब : प्लास्टिक पेकिंग के बजाए पट्टियां की जाएं।

सुवाल : मय्यित को इस्तिन्जा करवाने के लिये प्लास्टिक वग़ैरा के दस्ताने इस्ति'माल कर सकते हैं ?

जवाब : कर सकते हैं।

सुवाल : अगर ग़ुस्ल के बा'द भी मय्यित का मुंह खुला रहता हो तो क्या सर से ठोड़ी तक पट्टी बांध सकते हैं ?

जवाब : बांध सकते हैं।

सुवाल : अगर जलने या डूबने वग़ैरा से मय्यित का जिस्म इतना गल चुका हो कि हाथ लगाने से खाल के उधड़ने या गोश्त के जुदा होने का यक़ीन हो तो क्या इस सूरत में भी उसे ग़ुस्ल दिया जाएगा ?

जवाब : अगर मय्यित का जिस्म गल चुका हो कि हाथ लगाने से खाल उधड़ेगी या गोश्त जुदा होगा तो भी उसे ग़ुस्ल देंगे और ग़ुस्ल देने का त़रीक़ा येही है कि उस पर बिग़ैर हाथ फेरे पानी बहा दिया जाए।

सुवाल : शूगर के मरीज़ के ज़ख़्म पर कीड़े जो अन्दर तक जा रहे होते हैं क्या उन को साफ़ करना ज़रूरी है ?

जवाब : मय्यित को तक्लीफ़ पहुंचाए बिग़ैर जहां तक मुमकिन हो साफ़ कर दिये जाएं।

सुवाल : अगर जनाज़ा ताख़ीर से होता हो तो ग़ुस्ल कब देना चाहिये इन्तिक़ाल के फ़ौरन बा'द या नमाज़े जनाज़ा से थोड़ा पहले ?

जवाब : इन्तिक़ाल के फ़ौरन बा'द ।

सुवाल : क़ब्र की दीवारों पर उंगली के इशारे से लिखना कैसा है ?

जवाब : लिख सकते हैं ।

सुवाल : अगर तदफ़ीन के दौरान अज़ाने मग़रिब हो जाए या दीगर नमाज़ों की जमाअ़त का वक़्त हो जाए तो तदफ़ीन की जाए या जमाअ़त से नमाज़ पढ़ी जाए ?

जवाब : जितने अफ़राद की तदफ़ीन में ह़ाजत है उतने रुक कर तदफ़ीन करें बक़िय्या जमाअ़त के साथ नमाज़ अदा करें ।

सुवाल : मय्यित के पाउं पर ज़ियादा मैल कुचैल हो तो साफ़ करना ज़रूरी है या पानी बहाना काफ़ी है ?

जवाब : ग़ुस्ल का फ़र्ज़ अदा होने के लिये पानी का बहाना काफ़ी है अलबत्ता मैल कुचैल उतारने के लिये साबुन का इस्ति'माल करना जाइज़ है ।

सुवाल : मस्जिद से जनाज़े का ए'लान करना कैसा है ?

जवाब : जाइज़ है ।

सुवाल : हमारे हां जब कोई फ़ौत हो जाता है तो नमाज़े जनाज़ा के बा'द ह़ीला किया जाता है जिस का त़रीक़ा येह है कि इमाम साह़िब नमाज़े जनाज़ा के बा'द मुक़्तदियों के साथ दाइरा बना कर खड़े हो जाते हैं और क़ुरआने करीम ले कर उस के नीचे कुछ रूपे रख कर एक दूसरे की मिल्क करते हैं और जब इमाम साह़िब के पास दोबारा पहुंचते हैं तो इमाम साह़िब दुआ़ करते हैं एक दूसरे को मिल्क करने का अ़मल चन्द मरतबा करते हैं और हर मरतबा इमाम

साहि़ब दुआ़ करते हैं, क्या येह ह़ीला करना दुरुस्त है या नहीं ? और इस त़रह़ के ह़ीले की वज्ह से मय्यित को कोई फ़ाएदा भी होगा या नहीं ? ह़ालांकि मय्यित की नमाज़ों और रोज़ों का कोई ह़िसाब नहीं किया जाता। वज़ाह़त फ़रमा दें ?

जवाब : ह़ीलए इस्क़ात़ का येह त़रीक़ा मुकम्मल दुरुस्त नहीं है अलबत्ता इस में जो रक़म फ़ुक़रा को दी जा रही है उस के मुत़ाबिक़ मय्यित के रोज़ों और नमाज़ों का फ़िदया हो जाएगा, ह़ीलए इस्क़ात़ का दुरुस्त त़रीक़ा येह है कि मय्यित की सारी ज़िन्दगी की फ़ौतशुदा नमाज़ों और रोज़ों का ह़िसाब कर लिया जाए फिर अगर मय्यित ने वसिय्यत की है तो उस के कुल माल की तिहाई में से और अगर वसिय्यत न की हो तो अपने पास से कुछ माल दे कर या क़र्ज़ ले कर फ़िदया दिया जाए और अगर माल कम हो और फ़िदया ज़ियादा हो तो लौट फेर का त़रीक़ा कर लिया जाए येह भी जाइज़ है । फ़ुक़हाए किराम ने इस के जवाज़ की तसरीह़ फ़रमाई है अलबत्ता इस में इस बात का ख़याल रखा जाए कि दाइरे में खड़े होने वाले लोग शर्ई फ़क़ीर ही हों कोई ग़नी उस में खड़ा न हो, अगर कोई ग़नी खड़ा हो तो उस के पास पहुंचने वाली रक़म की मिक़्दार में फ़िदया अदा नहीं होगा। हर शर्ई फ़क़ीर इस रक़म पर क़ब्ज़ा करने के बा'द अपनी त़रफ़ से मय्यित के नमाज़ रोज़ों के फ़िदये की निय्यत से दूसरे को देता जाए, इसी त़रह़ लौट फेर करते रहें यहां तक कि मय्यित की तमाम फ़ौतशुदा नमाज़ों और रोज़ों का फ़िदया हो जाए। रक़म के साथ अगर क़ुरआने पाक भी है तो क़ुरआने मजीद के बदले में सिर्फ़ इतना ही फ़िदया अदा होगा जितनी क़ुरआने पाक की क़ीमत है येह समझ लेना कि क़ुरआने पाक से सारा फ़िदया अदा हो जाएगा येह बे अस्ल है।

सुवाल : बम वग़ैरा फटने की वज्ह से बा'ज़ अवक़ात लाशें बिखर जाती हैं और उन के जिस्म के टुकड़े हो जाते हैं उन के बारे में क्या ह़ुक्म है ?

जवाब : किसी मुसलमान का आधे से ज़ियादा धड़ मिला तो ग़ुस्ल व कफ़न देंगे और जनाज़े की नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ के बा'द वोह बाक़ी टुकड़ा भी मिला तो उस पर दोबारा नमाज़ न पढ़ेंगे और आधा धड़ मिला तो अगर उस में सर भी है जब भी येही हुक्म है और अगर सर न हो या त़ूल में सर से पाउं तक दह्ना या बायां एक जानिब का ह़िस्सा मिला तो इन दोनों सूरतों में न ग़ुस्ल है न कफ़न न नमाज़ बल्कि एक कपड़े में लपेट कर दफ़्न कर दें।

(در المختار معه رد المحتار، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ۱۰۷/۳)

सुवाल : मय्यित को बिल्कुल बरह्ना कर के ग़ुस्ल देना शर्अ़न जाइज़ है या नहीं ?

जवाब : नाजाइज़ है कि ता'ज़ीमे मुसलमान ज़िन्दा व मुर्दा दोनों ह़ालतों में यक्सां है।

सुवाल : मय्यित के रिश्तेदार दूसरे मुल्क में हों तो क्या उन के इन्तिज़ार में दफ़्न करने में ताख़ीर की जा सकती है ?

जवाब : ह़दीस में है कि जब तुम में से कोई मर जाए तो उस को रोक के न रखो और उस को क़ब्र की त़रफ़ जल्दी ले जाओ।

(مشکاۃ المصابیح، کتاب الجنائز، باب دفن المیت، الفصل الثالث، 325/2، حدیث:1717)

जिन रिश्तेदारों के आने में बहुत ज़ियादा वक़्त लगेगा तो वहां उन के इन्तिज़ार में मय्यित को दफ़्न करने में ताख़ीर की हरगिज़ इजाज़त नहीं।

सुवाल : क़ब्र को पुख़्ता करना कैसा है ?

जवाब : क़ब्र ऊपर से पुख़्ता करना जाइज़ है मगर बेहतर येह है कि ऊपर से भी पुख़्ता न की जाए जब कि अन्दर से पुख़्ता करना बिला ज़रूरत ममनूअ़ व मकरूह है, याद रहे ह़क़ीक़तन क़ब्र ज़मीन का वोह ह़िस्सा है जिस से मय्यित मुत्तसिल (या'नी मिली हुई) होती है तो इस के इर्द गिर्द कोई जिहत

पुख़्ता करना बिला ज़रूरत ममनूअ़ व मकरूह है अलबत्ता ज़रूरतन अन्दर का ह़िस्सा भी पुख़्ता करने की इजाज़त है।

सुवाल : बा'ज़ अ़लाक़े ऐसे हैं कि जब वहां क़ब्र खोदी जाती है तो पानी की सत़ह़ बुलन्द होने की वज्ह से थोड़ा बहुत पानी आ जाता है, इतना पानी होता है कि मय्यित की पुश्त गीली हो सकती है। क्या उन अ़लाक़ों में ज़मीन के ऊपर ही चार दीवारी बना कर मय्यित को दफ़्न किया जा सकता है?

जवाब : मय्यित को ज़मीन पर रख कर उस के इर्द गिर्द चार दीवारी क़ाइम कर देना शरअ़न जाइज़ नहीं ह़त्तल इमकान मय्यित को ज़मीन के अन्दर दफ़्न करना फ़र्ज़े किफ़ाया है। लिहाज़ा बा क़ाइदा क़ब्र खोदी जाए और मय्यित को लकड़ी या लोहे वग़ैरा के ताबूत में बन्द कर के क़ब्र के अन्दर रख दिया जाए।

सुवाल : आ़म क़ब्रों पर नाम वाली तख़्तियां लगाने का क्या हुक्म है?

जवाब : क़ब्र की पहचान के लिये नाम की तख़्ती लगाना जाइज़ है मगर उन पर क़ुरआने करीम की आयात व अस्माए मुक़द्दसा न लिखे जाएं कि आ़म त़ौर पर क़ब्रिस्तानों में उन की बे अदबी होती है।

सुवाल : हमारे अ़लाक़े में येह रवाज है कि जब कोई फ़ौत हो जाए तो बा'दे दफ़्न कुछ दिनों तक उस की क़ब्र पर फूल रखते हैं इसी त़रह़ शबे बराअत और ईद के मौक़अ़ पर भी क़ब्रों पर फूल और उन की पत्तियां रखी जाती हैं क्या क़ब्रों पर फूल रखना जाइज़ है और इस का कोई फ़ाएदा है या नहीं?

जवाब : क़ब्र पर फूल रखना जाइज़ व मुस्तह़ब है जब तक फूल तर रहते हैं मय्यित को राह़त मिलती है, येह बात ह़दीसे मुबारक से साबित है। चुनान्चे, ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا फ़रमाते हैं : नबिये पाक صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم मक्के या मदीने के बाग़ों में से किसी बाग़ में गुज़रे तो दो आदमियों की आवाज़ सुनी कि उन पर क़ब्र में अ़ज़ाब हो रहा है। नबिये पाक

صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि इन दोनों पर अ़ज़ाब हो रहा है और किसी बड़ी बात पर अ़ज़ाब नहीं हो रहा जिस से बचना मुश्किल हो फिर फ़रमाया इन में एक आदमी तो अपने पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुग़ुल ख़ोरी करता था फिर खजूर की एक तर शाख़ मंगवाई उस के दो टुकड़े किये और हर क़ब्र पर एक एक टुकड़ा रखा । सह़ाबा رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُم ने अ़र्ज़ की : या रसूलल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! ऐसा किस लिये किया ? फ़रमाया : ताकि जब तक येह दोनों शाख़ें ख़ुश्क न हों इन दोनों के अ़ज़ाब में तख़्फ़ीफ़ (कमी) होती रहे ।

(بخاری، کتاب الوضو، باب من الکبائر ان لایستتر من بولہ، ۱/۹۵، حدیث ۲۱۶)

मिर्क़ात में है कि लोगों में जो मुरव्वज है कि ख़ुश्बूदार फूल और खजूर की शाख़ क़ब्र पर रखते हैं वोह इस ह़दीस की रू से सुन्नत है ।

(مرقاۃ المفاتیح، ۲/۵۳)

सुवाल : अगर औ़रत की मय्यित हो तो उस को कफ़न में शल्वार पहनाना दुरुस्त है या नहीं ?

जवाब : औ़रत के सुन्नत कफ़न में पांच कपड़े हैं । लिफ़ाफ़ा, इज़ार, क़मीस, ओढ़नी और सीनाबन्द, औ़रत को कफ़न में शल्वार पहनाना सुन्नत नहीं है और इस की कोई ह़ाजत भी नहीं है ।

सुवाल : मय्यित के घर फ़ौतगी वाले दिन दूर से जो रिश्तेदार आए होते हैं उन के लिये खाने और रात रहने का इन्तिज़ाम करना शर्अ़न कैसा है ? अगर खाने का एहतिमाम न किया जाए तो अक्सर गाँव में होटल वग़ैरा भी नहीं होता जहां से मेहमान ख़ुद ख़रीद कर खा लें न ही ख़ुद कोई बन्दोबस्त कर सकते हों तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिये ?

जवाब : रिश्तेदार या पड़ोसियों का अह्ले मय्यित के लिये पहले रोज़ इतना खाना भेजना कि जिसे वोह दो वक़्त खा सकें सुन्नत है बल्कि इस्रार कर के उन्हें खिलाना चाहिये । इसी त़रह़ दूर से आने वालों में जो अह्ले मय्यित है

वोह भी येह खाना खा सकता है। इन के इ़लावा दीगर जो मेला झमेला लगा के पड़े रहते हैं उन के लिये अह्ले मय्यित का खाने पीने के एहतिमाम में मश्ग़ूल होना दा'वते मय्यित ही के ज़ुमरे में दाख़िल रस्मे बद है। अगर अह्ले मय्यित में से कोई अपनी जेबे ख़ास से करे तब भी मन्अ़ है और माले मतरूका से करे तब भी बल्कि तर्के में अगर ना बालिग़ भी हों उन के ह़िस्सों में से की तो सख़्त अशद ह़राम है। (फ़तावा रज़विय्या, 9/666 मुलख़्ख़सन)

सुवाल : अगर दो शख़्स किसी दुन्यवी ख़ुसूमत (या'नी झगड़े) की वज्ह से नाराज़ हों, इसी दौरान उन में से किसी एक का इन्तिक़ाल हो जाए तो दुन्यवी ख़ुसूमत की वज्ह से ज़िन्दा शख़्स के लिये मरने वाले की नमाज़े जनाज़ा न पढ़ने पर क्या हुक्म होगा ?

जवाब : जो बिला उ़ज़्रे शर्ई तीन दिन से ज़ियादा मुसलमान भाई से नाराज़ रहता है वोह फ़ासिक़ है। ह़दीसे मुबारक में एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर जो हुक़ूक़ बयान किये गए हैं उन में से एक उस की नमाज़े जनाज़ा पढ़ना भी है लिहाज़ा जो अपने मुसलमान भाई की नमाज़े जनाज़ा में शरीक हो सकता है उस को बिला उ़ज़्र तर्क न करे और दुन्यावी ख़ुसूमत की वज्ह से मुसलमान भाई की नमाज़े जनाज़ा को तर्क करना तो हरगिज़ न चाहिये।

सुवाल : ग़ुस्ल देने के दौरान मय्यित के मुंह में नक़्ली बत्तीसी, सोने का दांत, नक़्ली आंख या लेन्स वग़ैरा नज़र के होते हैं उन का क्या हुक्म है ?

जवाब : इस में क़ाइदा येह है कि इस त़रह़ की मस्नूई़ अश्या अगर बा आसानी जुदा कर सकते हैं कि मय्यित को तक्लीफ़ न पहुंचे तो अब जुदा करने की इजाज़त है और अगर मय्यित को तक्लीफ़ होगी तो नहीं।

सुवाल : बा'ज़ अवक़ात जब नई क़ब्र खोदी जाती है तो हड्डियां निकल आती हैं ऐसी सूरत में क्या किया जाए ?

जवाब : किसी जगह मय्यित का दफ़्न होना मा'लूम हो अगर्चे सालों गुज़र जाएं उस जगह को खोद कर दूसरे मुर्दे की तदफ़ीन करना नाजाइज़ व ह़राम है और मा'लूम न था और खुदाई के दौरान हड्डियां निकलीं तो उन्हें दोबारा दफ़्न कर दे और किसी दूसरी जगह नई क़ब्र खोदी जाए।

सुवाल : कभी ऐसा होता है कि बारिश की वज्ह से क़ब्र में शिगाफ़ पड़ जाता है तो लोग झांक झांक कर देखते हैं ऐसा करना कैसा ?

जवाब : यहां ग़ौर करना चाहिये कि जब मुर्दे को क़ब्र में बन्द कर के **अल्लाह** पाक के सिपुर्द कर दिया जाता है तो अब आ़लमे बरज़ख़ का सिलसिला शुरूअ़ हो जाता है और अब येह **अल्लाह** करीम और मुर्दे के दरमियान के राज़ होते हैं लिहाज़ा किसी को भी इन पर मुत्त़लअ़ होने की कोशिश करने या क़ब्र में झांकने की इजाज़त नहीं।

सुवाल : जो छोटा बच्चा ज़िन्दा पैदा हो कर फ़ौत हो जाए और उस का नाम नहीं रखा गया तो क्या बा'द में उस का नाम रखना ज़रूरी है या नहीं इस के बारे में इरशाद फ़रमा दें ?

जवाब : जो बच्चा ज़िन्दा पैदा हो कर फ़ौत हो गया उस का जनाज़ा भी होगा, कफ़न दफ़्न भी होगा और उस का नाम भी रखा जाएगा, इसी त़रह़ जो बच्चा ज़िन्दा पैदा नहीं हुवा तो उस का भी नाम रखा जाएगा अगर इस वक़्त जल्दी या सदमे की वज्ह से नाम रखना भूल गए और दफ़्न कर दिया तो बा'द में भी उस का नाम रख सकते हैं।

सुवाल : क्या ग़ुस्ले मय्यित में इस्तिन्जा के लिये थैली इस्ति'माल की जा सकती है ?

जवाब : उ़मूमी त़ौर पर ग़ुस्ले मय्यित में इस्तिन्जा के लिये इस्ति'माल किया जाने वाला कपड़ा थैली नुमा होता है जिसे हाथ पर चढ़ा कर इस्ति'माल कर सकते हैं।

सुवाल : बा'ज़ अ़लाक़ों में आज कल अक्सरो बेशतर क़ब्रों के अन्दर सीमेन्ट के बने हुए ब्लोक लगाए जाते हैं और ऊपर से बन्द करने के लिये भी सीमेन्ट की बनी हुई स्लेब लगाई जाती हैं, तो क्या इस त़रह़ दफ़्न करना सह़ीह़ है ?

जवाब : सीमेन्ट चूंकि आग से बनता है लिहाज़ा सीमेन्ट के ब्लोक या आग से बनी हुई ईंटें क़ब्र के अन्दर न लगाई जाएं और अगर क़ब्र की मिट्टी गिरने का अन्देशा है तो वोह ईंटें या ब्लोक लगाने के बा'द उन पर मिट्टी का लेप कर दिया जाए इसी त़रह़ सीमेन्ट की स्लेबों के अन्दरूनी ह़िस्से पर भी मिट्टी लेप दी जाए ताकि मय्यित के हर त़रफ़ मिट्टी ही मिट्टी हो, अगर किसी ने यूं न भी किया तो गुनहगार नहीं।

सुवाल : क्या मकरूह वक़्त में भी नमाज़े जनाज़ा पढ़ सकते हैं ?

जवाब : अगर मकरूह वक़्त में ही जनाज़ा लाया गया तो इस सूरत में नमाज़े जनाज़ा की अदाएगी मकरूह वक़्त में भी हो सकती है और अगर जनाज़ा पहले से तय्यार है और मकरूह वक़्त दाख़िल हो गया तो अब मकरूह वक़्त के अन्दर जनाज़ा पढ़ने की इजाज़त नहीं।

सुवाल : जब मय्यित को ग़ुस्ल दे दिया गया हो और कफ़न अभी नहीं पहनाया गया हो, अब रिश्तेदारों में से कोई ख़्वाहिश करे कि मैं भी ग़ुस्ल में शामिल हो जाऊं तो क्या वोह ग़ुस्ल में शामिल हो सकता है ? इस के बारे में इरशाद फ़रमाएं।

जवाब : मय्यित के ग़ुस्ल के वक़्त नेक अफ़राद शामिल हों और जितने अफ़राद की ह़ाजत है सिर्फ़ वोही ह़ज़रात मय्यित के पास रहें और जब ग़ुस्ल दे दिया गया तो अब किसी को शरीक होने की (या पानी बहाने की) इजाज़त नहीं।

सुवाल : अगर किसी मय्यित के सत्र की जगह पर ज़ख़्म हो तो क्या उस सत्र के मक़ाम को देखने की इजाज़त है ताकि एह़तियात़ से ग़ुस्ल दे सकें ?

जवाब : ग़ुस्ल देने के लिये ऐसे ज़ख़्म को देखने की इजाज़त नहीं है, हां पानी डालने में एह़तियात़ करें और हाथ वग़ैरा न फेरें।

सुवाल : जब क़ब्र पर अज़ान दी जाती है तो लोगों को कहा जाता है कि आप चले जाएं। अब यहां ठहरने की किसी को इजाज़त नहीं। इस ह़वाले से रहनुमाई करें कि शर्ई ए'तिबार से इस त़रह़ करना कैसा है ?

जवाब : क़ब्र पर अज़ान देने से मक़्सूद शैत़ान को दूर करना है और रिवायतों में है कि जब दफ़्न कर के लोग चालीस क़दम दूर चले जाते हैं तो अब मुन्कर नकीर का आना होता है। इस लिये बक़िय्या अफ़राद को जाने का कह दिया जाता है कि जब वोह चले जाएं तो अज़ान दी जाए लेकिन अगर कोई वहां खड़ा रहे और उस वक़्त अज़ान दी जाए तो इस में शर्अ़न कोई क़बाह़त नहीं है।

सुवाल : बा'ज़ इस्लामी भाई दफ़्न से पहले क़ब्र में उतर कर सूरए मुल्क की तिलावत करते हैं येह करना कैसा है ?

जवाब : क़ब्र में उतर कर मुर्दे की आसानी के लिये क़ुरआने पाक की अगर तिलावत करते हैं तो येह जाइज़ है, इस में ह़रज नहीं। अलबत्ता इस बात का ख़याल रखें कि अगर तदफ़ीन के लिये मय्यित आ गई तो उस वक़्त मय्यित को रोक कर और फिर उतर कर तिलावत करने की बजाए मय्यित के आने से पहले ही तिलावत कर लें।

सुवाल : बसा अवक़ात ज़ियादा बारिश और पानी जम्अ़ होने की वज्ह से बा'ज़ क़ब्रें एक त़रफ़ झुक जाती हैं बल्कि कई क़ब्रों के गिरने का भी अन्देशा होता है इन्हें दोबारा सह़ीह़ करने के बारे में मदनी फूल इरशाद फ़रमा दें ?

जवाब : इस सूरत में क़ब्र खोलने की इजाज़त नहीं है बल्कि बाहर से ही क़ब्र को किसी भी त़रीक़े से दुरुस्त करने की कोशिश की जाए। ऐसे ही अगर स्लेब गिर गई है तो इस सूरत में एक कपड़ा वग़ैरा ऊपर डाल कर किसी नेक सालेह़ मुत्तक़ी शख़्स को कहें कि वोह क़ब्र में झांके बिग़ैर सिर्फ़ हाथ डाल कर स्लेब दुरुस्त कर दे फिर दूसरी स्लेब फ़ौरी त़ौर पर ढक दी जाए। इस दौरान क़ब्र में झांकना जाइज़ नहीं है।

सुवाल : औ़रतों का क़ब्रिस्तान में फ़ातिह़ा के लिये जाना कैसा है?

जवाब : औ़रतों को क़ब्रिस्तान जाना मन्अ़ है, बल्कि मज़ारात की ह़ाज़िरी भी मन्अ़ है, सिर्फ़ और सिर्फ़ नबिये पाक, साह़िबे लौलाक صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के रौज़ए मुबारका पर औ़रतों को ह़ाज़िरी की इजाज़त है, (बल्कि सुन्नते मुअक्कदा क़रीब ब वाजिब है) इस के इ़लावा किसी भी मज़ार या क़ब्रिस्तान में फ़ातिह़ा के लिये औ़रतों को जाना मन्अ़ है, इजाज़त नहीं है, घर से ही फ़ातिह़ा पढ़ कर इस का ईसाले सवाब कर दें।

सुवाल : बा'ज़ अवक़ात मय्यित को मजबूरी के तह़्त अमानत के त़ौर पर दफ़्न कर दिया जाता है तो इस का क्या हुक्म होगा?

जवाब : अमानतन दफ़्न करना कि बा'द में किसी और जगह मुन्तक़िल कर देंगे, इस्लाम में इस की इजाज़त नहीं है, जहां दफ़्न कर दिया वहीं रहने दें यहां से निकाल कर किसी और जगह मुन्तक़िल करना येह ह़राम है।

मजलिसे कफ़न दफ़्न का तआ़रुफ़

आ़शिक़ाने रसूल की दीनी तह़रीक दा'वते इस्लामी 79 से ज़ाइद शो'बा जात क़ाइम कर के नेकी की दा'वत और इह़याए सुन्नत में मसरूफ़े अ़मल है। इन्हीं में एक शो'बा कफ़न दफ़्न भी है जो सुन्नत व शरीअ़त के मुत़ाबिक़

आ़शिक़ाने रसूल की तजहीज़ो तक्फ़ीन और लवाहिक़ीन की ग़म गुसारी कर के सवाब कमाने में कोशां है और साथ ही साथ आ़शिक़ाने रसूल (इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों) को तजहीज़ो तक्फ़ीन का त़रीक़ा सिखाने में मसरूफ़े अ़मल है। चुनान्चे, तजहीज़ो तक्फ़ीन में हि़स्सा लेने की तरग़ीब औऱ तजहीज़ो तक्फ़ीन सिखाने के लिए शो'बए कफ़न दफ़्न की त़रफ़ से मुल्क व बैरूने मुल्क में वीडियो इजतिमाआ़त का इन्इ़क़ाद किया जाता है जिस में आ़शिक़ाने रसूल को मौत से ले कर तदफ़ीन तक के दरपेश मसाइल के बारे में आगाही फ़राहम की जाती है। कफ़न दफ़्न अ़मली इजतिमाअ़ मुन्अ़क़िद किये जाते हैं और अ़मली त़ौर पर ग़ुस्ले मय्यित और कफ़न काटने और पहनाने का त़रीक़ा सिखाया जाता है इ़लावा अज़ीं कफ़न दफ़्न रिहाइशी कोर्स और ऑनलाइन कफ़न दफ़्न शॉर्ट कोर्स का भी सिलसिला है। (اَلْحَمْدُلِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ ! इस्लामी बहनों में भी तजहीज़ो तक्फ़ीन का शो'बा क़ाइम है और इस्लामी बहनों की तजहीज़ो तक्फ़ीन, ग़म गुसारी औऱ तजहीज़ो तक्फ़ीन सीखने सिखाने का सिलसिला जारी है) इसी त़रह़ कत्बा फ़रोश, कफ़न फ़रोश, फूल मार्केट और गोरकनों के दरमियान भी मदनी ह़ल्क़े लगाए जाते हैं और इन्हें भी इन के मुआ़मलात सुन्नतो शरीअ़त के मुत़ाबिक़ सर अन्जाम देने का ज़ेह़न दिया जाता है। मज़ीद आसानी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई गई है जिस का नाम "Muslim's funeral App" है जिस में एनीमेटेन्ड वीडियोज़ के ज़रीए़ मुख़्तलिफ़ उ़न्वानात के तह़्त मर्ह़लावार तजहीज़ो तक्फ़ीन का त़रीक़ा दिखाया गया है। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ शो'बा कफ़न दफ़्न के तह़्त तीजे, सातवें, चालीसवें और बरसी के मौक़ोओं पर ईसाले सवाब इजतिमाआ़त का भी एहतिमाम किया जाता है। इन तमाम उमूर को ब हुस्ने ख़ूबी सर अन्जाम देने के लिए दा'वते इस्लामी की तन्ज़ीमी तक़्सीम के तह़्त मुख़्तलिफ सत़ह़ (मुल्की, ज़ोन, काबीना, डिवीज़न और अ़लाक़ा सत़ह़) पर

ज़िम्मेदारान का तक़र्रुर किया गया है जो बाहमी मुशावरत से इन कामों को बेहतर से बेहतर अन्दाज़ में सर अन्जाम देने की सई करते हैं। **अल्लाह** पाक दा'वते इस्लामी के शो'बे कफ़न दफ़न और दीगर तमाम शो'बा जात को ख़ूब तरक़्क़ियां अ़त़ा फ़रमाए। आमीन

मय्यित के बाल व नाख़ुन काटना

۞ मय्यित की दाढ़ी या सर के बाल में कंघा करना या नाख़ुन तराशना या किसी जगह के बाल मूंडना या कतरना या उखाड़ना नाजाइज़ व मकरूहे तह़रीमी है बल्कि हुक्म येह है कि जिस ह़ालत पर है उसी ह़ालत में दफ़न कर दें, हां अगर नाख़ुन टूटा हो तो ले सकते हैं और अगर नाख़ुन या बाल तराश लिये तो कफ़न में रख दें।

(ردالمحتار، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الجنازۃ، مطلب: فی القراءۃ عند المیت، ۳/۱۰٤)

ख़ुन्सा के ग़ुस्ले मय्यित और कफ़न का त़रीक़ा

ख़ुन्सा मुश्किल (या'नी जिस में मर्द व औ़रत दोनों की आ़लमात हों और येह साबित न हो कि मर्द है या औ़रत) को औ़रत की त़रह़ पांच कपड़े दिए जाएं मगर कुसुम या ज़ा'फ़रान का रंगा हुवा और रेश्मी कफ़न उसे नाजाइज़ है।

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثالث فی التکفین، 1/161)

मुस्ता'मल पानी का अहम मस्अला

अगर बे वुज़ू शख़्स का हाथ या उंगली या पोरा या नाख़ुन या बदन का कोई टुकड़ा जो वुज़ू में धोया जाता हो जान बूझ कर या भूल कर दह दर दह (10x10) से कम पानी (मसलन पानी से भरी हुई बालटी या लोटे वग़ैरा) में पड़ जाए तो पानी मुसत'मल (या'नी इस्ति'माल शुदा) हो गया और अब वुज़ू और ग़ुस्ल के लाइक़ न रहा। इसी त़रह़ जिस पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो उस के जिस्म

का कोई बे धुला हुवा हि़स्सा पानी से छू जाए तो वोह पानी वुज़ू और ग़ुस्ल के काम का न रहा। हां अगर धुला हाथ या धुले हुए बदन का कोई हि़स्सा पड़ जाए तो ह़रज नहीं। (बहारे शरीअ़त, 1/333) (मुस्ता'मल पानी और वुज़ू व ग़ुस्ल के तफ़्सीली अह़काम सीखने के लिए बहारे शरीअ़त हि़स्सा 2 का मुत़ालआ़ फ़रमाइए)

मुस्ता'मल पानी को दोबारा काम का बनाने के दो त़रीक़े

﴾1﴿ पानी में बे धुला हाथ पड़ गया या किसी त़रह़ मुस्ता'मल हो गया और चाहें कि येह काम का हो जाए तो जितना मुस्ता'मल पानी है उस से ज़ियादा मिक़्दार में अच्छा पानी उस में मिला लीजिये, सब काम का हो जाएगा नीज़

﴾2﴿ एक त़रीक़ा येह भी है कि उस में एक त़रफ़ से पानी डालें कि दूसरी त़रफ़ से बह जाए सब काम का हो जाएगा।

अ़वाम में पाई जाने वाली चन्द ग़लतियां

❁ मय्यित के नाख़ुन, बाल काटना ❁ मय्यित के पहने हुए कपड़े फेंक देना ❁ ग़ुस्ले मय्यित से पहले तख़्ते को बिग़ैर ज़रूरत धोना ❁ जिस जगह ग़ुस्ल दिया वहां 40 दिन तक रौशनी करना ❁ जो ग़ुस्ल का तख़्ता ले कर आए वोही वापस ले जाए वरना कोई मुसीबत पहुंचेगी ❁ मुर्दे के कफ़न में धोती लाज़िमी क़रार देना ❁ क़ब्र पर अगरबत्तियां तोड़ कर फ़ेंक देना ❁ ग़ुस्ले मय्यित का साबुन दोबारा इस्ति'माल में लाना नाजाइज़ समझना ❁ मय्यित के कपड़े क़ब्रिस्तान में छोड़ना इस वजह से कि कहीं मुर्दे की रूह़ हमें न पकड़ ले ❁ मय्यित के ग़ुस्ल के पानी का गटर में चले जाने को नाजाइज़ ख़याल करना ❁ बड़ी उ़म्र की ख़ातून को इस के शौहर के जनाज़े के साथ 40 क़दम चलाना येह सोच कर कि इस त़रह़ करने से इ़द्दत ख़त्म हो जाएगी ❁ बच्चा फ़ौत हो तो क़ब्रिस्तान से बाहर दफ़्न करना लाज़िमी समझना।

مآخذ و مراجع

کتب	مصنفین	مطبوعات
بخاری	امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ
ابن ماجہ	امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۷۳ھ	دار المعرفہ بیروت ۱۴۲۰ھ
ترمذی	امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ	دار المعرفہ بیروت ۱۴۱۴ھ
معجم کبیر	امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی، متوفی ۳۶۰ھ	دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۲ھ
معجم اوسط	امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی، متوفی ۳۶۰ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۲۲ھ
مشکاۃ المصابیح	علامہ ولی الدین تبریزی، متوفی ۷۴۲ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ
مرقاۃ المفاتیح	علامہ ملا علی بن سلطان قاری، متوفی ۱۰۱۴ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۴ھ
مرآۃ المناجیح	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، متوفی ۱۳۹۱ھ	
القول البدیع	امام محمد بن عبد الرحمٰن سخاوی شافعی، متوفی ۹۰۲ھ	دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۰۵ھ
جوہرہ نیرہ	ابو بکر بن علی حداد، متوفی ۸۰۰ھ	
در المختار	محمد بن علی المعروف بعلاء الدین حصکفی، متوفی ۱۰۸۸ھ	دار المعرفہ بیروت ۱۴۲۰ھ
رد المحتار	محمد امین ابن عابدین شامی، متوفی ۱۲۵۲ھ	دار المعرفہ بیروت ۱۴۲۰ھ
فتاویٰ ہندیہ	مولانا شیخ نظام، متوفی ۱۱۶۱ھ وجماعۃ من علماء الہند	دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ
فتاویٰ رضویہ	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۴۰ھ	رضا فاؤنڈیشن
بہار شریعت	مفتی محمد امجد علی اعظمی متوفی ۱۳۶۷ھ	مکتبۃ المدینہ
وقار الفتاویٰ	مولانا مفتی محمد وقار الدین، متوفی ۱۴۱۳ھ	بزم وقار الدین ۲۰۰۱ء
مدنی وصیت نامہ	ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی	مکتبۃ المدینہ

फ़ेहरिस्त

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत	3	कफ़न पहनाने की निय्यतें	11
रुख़े पुर अन्वार पर खुशी के आसार	3	मर्द को कफ़न पहनाने का त़रीक़ा	11
तजहीज़ो तक्फ़ीन से क्या मुराद है ?	3	औ़रत को कफ़न पहनाने का त़रीक़ा	12
शर्ई हुक्म	4	कफ़न कैसा होना चाहिये ?	12
फ़र्ज़े किफ़ाया	4	मुतफ़र्रिक़ मदनी फूल	13
तजहीज़ो तक्फ़ीन की ज़बरदस्त फ़ज़ीलत	4	दुआए अ़त्तार	15
मय्यित नहलाने की फ़ज़ीलत	5	तजहीज़ो तक्फ़ीन से मुतअ़ल्लिक़ सुवाल जवाब	15
ग़ुस्ले मय्यित की निय्यतें	5		
ग़ुस्ले मय्यित का त़रीक़ा	5	मजलिसे कफ़न दफ़न का तआ़रुफ़	26
इस्लामी बहन के ग़ुस्ले मय्यित का त़रीक़ा	6	मय्यित के बाल व नाख़ुन काटना	28
		ख़ुन्सा के ग़ुस्ले मय्यित और कफ़न का त़रीक़ा	28
ग़ुस्ले मय्यित के मदनी फूल	8		
नहलाने वाले के लिये मदनी फूल	8	मुस्ता'मल पानी का अहम मस्अला	28
कफ़न पहनाने की फ़ज़ीलत	9	मुस्ता'मल पानी को दोबारा काम का बनाने के दो त़रीक़े	29
जन्नती लिबास	10		
बच्चों को कौन सा कफ़न दिया जाए ?	10	अ़वामी चन्द ग़लति़यां	29
कफ़न की तफ़्सील	10	मआ़ख़ज़ो मराजेअ़	30

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ط

इस के लिये तय्यारी करो

ह़ज़रते सय्यिदुना बराअ बिन आ़ज़िब رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ फ़रमाते हैं कि हम **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के हमराह एक जनाज़े में शरीक थे, आप صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم क़ब्र के कनारे बैठे और इतना रोए कि आप की पाकीज़ा आंखों से निकलने वाले आंसूओं से मिट्टी गीली हो गई, फिर फ़रमाया : इस (क़ब्र) के लिये तय्यारी करो। (ابن ماجہ، 4/466، حدیث 4195)

ह़ज़रते सय्यिदुना उ़स्माने ग़नी رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ जब किसी क़ब्र के पास खड़े होते तो इस क़दर रोते कि आंसूओं से आप की दाढ़ी मुबारक तर हो जाती, सबब पूछा गया तो फ़रमाया : मुझे अपनी तन्हाई याद आ जाती है कि क़ब्र में मेरे साथ लोगों में से कोई भी न होगा।

(तजहीज़ो तक्फ़ीन का त़रीक़ा, स. 124)

क़ब्र आख़िरत की मन्ज़िलों में सब से पहली मन्ज़िल है अगर येह आसान हो गई तो बा'द वाली मन्ज़िलें इस से आसान होंगी और अगर यहां मुश्किल हुई तो आगे इस से भी ज़ियादा मुश्किल मुआ़मला होगा लिहाज़ा अ़क़्ल मन्द वोही है जो अपनी मौत और क़ब्र में उतरने को याद करे और अभी से इस के लिये तय्यारी करे।